## नेशनल / मेगा लोक अदालत दिनांक 12 दिसंबर—2015, गोहद तहसील न्यायालय गोहद जिला भिण्ड खण्डपीठ कमांक—21

(समक्षः पी०सी०आर्य)

क्लेम प्रकरण कमांकः 37 / 2014 संस्थित दिनांक—04.12.2012 फाइलिंग नं—230303000272012

श्रीमती मंजू शुक्ला पत्नी वीरेन्द्र शुक्ला आयु 35 साल जाति ब्रा0 निवासी वार्ड नंबर—13 गोहदी गेट गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

<u>.......आवेदिका</u>

## वि रू द्ध

1— उम्मेदिसंह गुर्जर पुत्र रतनिसंह गुर्जर आयु 50 साल निवासी खल्लासी पुरा शिन्दे की छावनी ग्वालियर म0प्र0 हाल ग्राम कीरतपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

वाहन चालक

2— बलवीरसिंह पुत्र मेवाराम सिंह आयु 32 साल जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम कीरतपुरा (डांग) परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

वारच पाचिक

3— श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ई–8ई पी इंण्डट्रीयल ऐरिया सीतापुरा जयपुर( राजस्थान)

> ....बीमा कंपनी अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता । अनावेदक कमांक–1 व 2 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। अनावेदक कमांक–3 द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

## <del>\_ः\_ अधि–निर्णय</del> —::

(आज दिनांक 12/12/2015 को नेशनल/मेगा लोक अदालत में घोषित)

 आज इस खण्डपीठ के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक—37 / 14 नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रकरण के पक्षकारानगण आवेदिका श्रीमती मंजू शुक्ला एवं अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी के मध्य इस आशय का समझौता हुआ है कि दिनांक 25.06.11 को गोहद थाना क्षेत्रांतर्गत अनावेदक कमांक—2 के स्वामित्व के द्वैक्टर कमांक—एम0पी0—30एम—8989 से हुई सड़क दुर्घटना में आवेदिका गंभीर रूप से घायल हुई थी जिसके द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया था। नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य दुर्घटना में पहुंची शारीरिक क्षतियों की पूर्ति बाबत एकमुश्त राशि तीस हजार रूपये में आवेदिका और अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी के मध्य स्वेच्छ्यापूर्वक समझौता हो गया है इस कारण आवेदिका ने अनावेदक क0—1 व 2 के विरूद्ध सहायता नहीं चाही है तथा प्रकरण व्यय एवं ब्याज भी नहीं चाहा है। समझौता मुताबिक क्षतिपूर्ति की राशि तीस हजार रूपये अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी आवेदिका को दो माह के भीतर अदा करेगी।

- पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत हुआ समझौता विधिसम्मत होकर स्वेच्छ्यापूर्वक किया जाना पाया गया है। आवेदिका की पहचान श्री कमलेश शर्मा एड0 द्वारा की गई है। अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से उसके अधिकृत अधिवक्ता श्री संजय दीक्षित द्वारा समझौता हस्ताक्षरित किया गया है जिससे मूल मोटर दुर्घटना दावा की तुष्टि हो जाती है। अतः समझौता विधिसम्मत और स्वेच्छ्यापूर्वक होने से वाद विचार स्वीकार किया जाता है। और समझौता के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में अनावेदक क0-3 के विरुद्ध इस आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि :--
- 1. अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी आवेदिका को आज दिनांक से दो माह के भीतर तीस हजार रूपये की राशि का विधिवत भुगतान करेगी अन्यथा आवेदिका विधिवत निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से उक्त राशि अनावेदक क0—3 से वसूल सकेगी।
- 2. समझौता हो जाने से प्रकरण व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया ।

(पी०सी० आर्य) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ कृ0–21 द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(के०पी० राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ क0—21 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(अवध विहारी पाराशर) (सदस्य) खण्डपीठ क्र0—21 गोहद जिला भिण्ड म०प्र0